

प्रेस नोट

दिनांक 22.07.2022

सराहनीय कार्य थाना कमरौली पुलिस

हत्या का खुलासा, 01 अदद कुल्हाड़ी आलाकत्ल, 13480 रुपये नगद, आधार कार्ड आदि के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 17.07.2022 को वादी श्री मोहन कुमार पुत्र रामआधार नि0 मोहब्बतपुर पट्टी थाना कोठी जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कमरौली पर लिखित तहरीर दी गयी कि मेरे भाई राम सिंह अपने रिश्तेदार सत्रोघन पुत्र जगप्रसाद नि0 सराय आलम थाना कमरौली जनपद अमेठी के खाते में 1,30,000/- रुपया मुर्गी के बच्चे खरीदने के लिए भेजा था जिसको दिनांक 11.07.2022 को सत्रोघन ने केनरा बैंक जगदीशपुर से निकाल कर मेरे भाई को दिया तथा दोनो लोग सत्रोघन के घर सराय आलम चले गये वहां से शाम 4:00 बजे के बाद मेरे भाई को सत्रोघन कहीं लेकर चला गया तब से मेरा भाई लापता था जिस संबंध में दिनांक 13.07.2022 को गुमशुदगी दर्ज कराया था मुझे यह शंका थी कि सत्रोघन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे के लिये हत्या करने के उद्देश्य से मेरे भाई रामसिंह का अपहरण कर लिया है । जिस संबंध में थाना कमरौली पर मु0अ0सं0 106/22 धारा 364 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी ।

उक्त घटना के क्रम में तथा जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.07.2022 को उ0नि0 निर्मल सिंह थानाध्यक्ष कमरौली मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल सवार 03 वांछित अभियुक्त 1.सत्रोघन पुत्र जगप्रसाद नि0 सराय आलम थाना कमरौली जनपद अमेठी 2.रामधीरज पुत्र अलगू 3.हंसराज पुत्र खुशीराम निवासीगण कौछित थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को जाफरगंज मोड़ के पास से समय करीब 06:15 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सत्रोघन के कब्जे से 10,620/- रुपये नगद व मुर्गी फार्म पट्टे की 01 अदद रसीद, अभियुक्त रामधीरज के कब्जे से 1660/- रुपये नगद व अभियुक्त हंसराज के कब्जे से 1200/- रुपये नगद व मृतक रामसिंह का आधार कार्ड बरामद हुआ ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सत्रोघन ने बताया कि रामसिंह (मृतक) मेरा दूर का रिश्तेदार था जो मेरे घर बराबर आता जाता था कुछ दिन पूर्व मुर्गी के बच्चे खरीदने के लिए मेरे खाते में 01 लाख 30 हजार रुपये डाला था तथा बताया था कि जल्द ही मुर्गी का बच्चे खरीदने आउंगा । दिनांक 11.07.2022 को राम सिंह मुर्गी के बच्चे खरीदने के लिए आया तो मैं उसे केनरा बैंक जगदीशपुर से 01 लाख रुपये निकाल कर दिए उसके बाद खाना खाने के बहाने रामसिंह (मृतक) को अपने घर लाया इसी बीच मैं अपने रिश्तेदार रामधीरज जो रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं व उनके भतीजे हंसराज को घटना कारित करने की पूर्व में बनी योजना के बारे में फोन से बताया । योजनानुसार मैं राम सिंह को अपनी पैशन मोटरसाइकिल संख्या यूपी 41 एके 9068 पर बैठाकर कौछित घाट पहुंचकर एक साथ बैठकर मछली खाए व दारू पिये । नशों में होने के बाद नदी में नहाने के बहाने राम सिंह को लेकर नदी में उतरे तो योजना के मुताबिक रामसिंह को धीरज तथा हंसराज ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करके शव, कपड़े व मोबाइल को नदी में फेंक दिया व हम लोग 01 लाख रुपये व आधार कार्ड आदि लेकर वहां से चले गये । गिरफ्तार अभियुक्तों कि निशान देही पर आलाकत्ल 01 अदद कुल्हाड़ी कौछित घाट नदी के किनारे से बरामद हुआ । थाना कमरौली द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सत्रोघन पुत्र जगप्रसाद नि० सराय आलाम थाना कमरौली जनपद अमेठी । (10,620/- रुपये नगद व मुर्गी फार्म पट्टे की 01 अदद रसीद) ।
2. रामधीरज पुत्र अलगू (1660/- रुपये नगद)
3. हंसराज पुत्र खुशीराम निवासीगण कौछित थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी । (1200/- रुपये नगद व मृतक रामसिंह का आधार कार्ड)

बरामदगी-

- 01 अदद कुल्हाड़ी आलाकत्ल ।
- 13480 रुपये नगद ।
- मृतक का आधार कार्ड,
- 01 अदद पट्टे की रसीद
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद पेशन मोटरसाइकिल संख्या यूपी 41 एके 9068

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु०अ०सं० 106/22 धारा 364,302,201,34 भादवि थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
- पेशन मोटरसाइकिल संख्या यूपी 41 एके 9068 (207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० निर्मल सिंह थानाध्यक्ष कमरौली जनपद अमेठी ।
2. उ०नि० राजेश कुमार गौड़ थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
3. उ०नि० राम बचन राम थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
4. का० हरिश्चन्द्र वर्मा थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
5. का० अंकित यादव थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
6. का० रुपेश यादव थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
7. का० शिवराज थाना कमरौली जनपद अमेठी ।

अभियुक्त सत्रोघन का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 369/04 धारा 302,201,364 भादवि थाना कमरौली जनपद अमेठी।
2. मु०अ०सं० 12/06 धारा 392,411 भादवि थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी ।
3. मु०अ०सं० 13/06 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी ।
4. मु०अ०सं० 541/07 धारा 302,201बी भादवि व 3(1)यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोठी जनपद बाराबंकी ।
5. मु०अ०सं० 443/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
6. मु०अ०सं० 497/07 धारा 392 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
7. मु०अ०सं० 652/12 धारा 302,201,364,120बी भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ।

अभियुक्त रामधीरज का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 652/12 धारा 302,201,364,120बी भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ।